दां.प्रकी.(जमा.) 4142/2004

06.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप मेहता,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त के कब्जे से एक किलो साठ ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं है। सहअभियुक्त सोहनलाल की जमानत भी ली जा चुकी है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि अफीम, जो बरामद हुई है, वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अभियुक्त आदतन अपराधी हो, फर्द गिरफ्तारी से नहीं पाया जाता है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी नानालाल पुत्र केशुराम योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा

कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा